भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3235

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"खादी उत्पादों पर जीएसटी"

3235. श्री एम. के. राघवन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की एक हजार रुपए से कम कीमत वाले खादी उत्पादों पर जीएसटी हटाने की कोई योजना है क्योंकि खादी हमारे देश की विरासत का एक हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की एक हजार रुपए से अधिक मूल्य वाले खादी उत्पादों पर माल एंव सेवा कर (जीएसटी) दर को कम करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क): जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर निर्धारित की जाती हैं जो एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद की ऐसी कोई सिफारिश नहीं है।

(ख): उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ): जीएसटी परिषद की ऐसी कोई सिफारिश नहीं है। तथापि, जीएसटी परिषद की 09 सितम्बर, 2017 को आयोजित 21वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर, अध्याय 50 से 55 के अंतर्गत आने वाले खादी के कपड़े जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) की दुकानों से बेचे जाते हैं, को जीएसटी से पूर्णत: छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, अध्याय 52 के अंतर्गत आने वाले खादी धागों की आपूर्ति को भी जीएसटी से पूर्णत: छूट दी गई है।

*****